न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मल्लाना

वाद संख्या–2/302/12
अनुवान

1. श्रवण लाल पुत्र हरनारायण मीना नि0 मल्लाना तह0 राजगढ़ – प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र नारायण
2. किशोर पुत्र नारायण
3. रामफूल पुत्र नारायण
4. नारायण पुत्र भुरा
5. मन्ना पत्नि किशोर
6. धप्पी पत्नि किशोर
7. सुशीला पत्नि रामजीलाल समस्त जाति मीना नि0 ग्राम मल्लाना तह0 राजगढ़ –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट 22.05.2018 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मल्लाना तहसील राजगढ़ पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 हाल 27/0.70,28/0.21, 29/0.36 वाके ग्राम तिलवाड़ जो आराजी प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी है जो एक परिवार के सदस्य है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई खातेदारी संबंध नहीं है परंतु वो जबरन प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है तथा कार्य काश्त प्रार्थी में रूकावट व मजाहमत पैदा करते है। यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाले क्षति होगी अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर एक तरफा में बहस सुनी जाकर दिनांक 08.11.2012 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की गई तथा अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थीगण संख्या 1–3 व 5–7 उपस्थित न्यायालय आये शेष अप्रार्थीगण संख्या 4 बाद सूचना तामिल उपस्थित नहीं आने की स्थिति में उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1'–3 व 5–7 द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश कर तथ्य प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की आराजी विवादित पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। खसरा संख्या साबिक 7 काफी बड़ा रकबा है व रिकार्ड में सिवायचक चारागाह दर्ज है। खसरा न0 साबिक 7 के तरफ उतर को अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी साबिक खसरा न0 9 हाल 35 व 36 स्थित है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की आराजी के तरफ उतर को विवादित आराजी साबिक 7 के हाल न0 29 व 36/655 स्थित है जो प्रतिवादीगण 1–4 की खातेदार मिली हुई है। जिस पर उनका कब्जा काश्त है तथा एडवर्स पजेशन है। विवादित आराजी बाबत वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1से 4 के खिलाफ दावा दखलयाबी का भी दायर किया हुआ हैं। जिसमें आराजी पर अप्रार्थी 1से 4 का कब्जा माना है।जिसकी अपील राजस्व अपीलाधीकारी अलवर में कि उसमें वादी का दावा डिक्रि खारिज कर दिया जिसकी अपील वादी की रेवेन्यू

बोर्ड में चल रही है। इसलिए मौजूदा वाद चलने योग्य नहीं हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया।

मैनं पत्रावली का स्वप्रेरणा से लोकअदालत कैम्प मल्लाना पर वास्ते निर्णय अवलोकन किया। जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संम्वत 2068–71 खाता संख्या 153 वाके ग्राम तिलवाड़ के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य साबित होता है कि आराजी हाल खसरा न0 27/0.70,28/0.21,29/0.36 हैक0 के खातेदार वादी व तरतीबी प्रतिवादी है। अप्रार्थीगण का मुताबिक रिकोर्ड कोई खातेदारी इन्द्राज साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में आराजी विवादित पर प्रथम दृष्टया कब्जा काश्त भी प्रार्थीगण की ही मानी जावेगी। प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध 08.011.2012 से जारी की गई है। आराजी विवादित के प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी खातेदार साबित होने से प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। साथ ही अप्रार्थीगण आराजी विवादित के खातेदार वर्तमान रिकार्ड में साबित नहीं होने से अप्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति भी साबित नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आराजी खसरा न0 हाल 27/0.70,28/0.21, 29/0.36 वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील राजगढ़ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 08.11.2012 ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट मल्लाना पर सुनाया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट मल्लाना